संख्या-15/2016/390/60-2-2016

प्रेषक,

मनिराम सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 10 मार्च, 2016

विषयः वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-0103-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-1328/बा.वि.परि./लेखा/2013-14,दिनांक 10.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-49 के अधीन समन्वित बाल विकास योजना के 0103-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में पुनर्विनियोजन के माध्यम से रुपये 280.00 हजार (रूपये दो लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-49 के अधीन लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना-0103-बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय के मानक मद-44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

ये आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-ई-3-387/दस-2016, दिनांक 10.03.2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

संख्या-15/2016/390(1)/60-2-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहबाद।
2. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1।
5. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
6. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(मनिराम सिंह)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।